संख्या-72/2017/831/22-4-17-22/99

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-12 अक्टूबर, 2017

विषय- प्रदेश की कारागारों में निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13886/नजारत-4/71/वा0क्र0/2017, दिनांक- 04.05.2017 एवं पत्र पत्र संख्या-33419/ नजारत-4/71/वा0क्र0/2017, दिनांक- 14.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार रायबरेली, जौनपुर एवं देवरिया की 03 नग निष्प्रयोज्य एम्बुलेंस का पुनर्स्थापन टाटा सूमो गोल्ड ईएक्स एम्बुलेंस से तथा जिला कारागार, देवरिया एवं मेरठ की 02 नग निष्प्रयोज्य जीप का पुनर्स्थापन महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा की बोलेरो एस0एल0ई0 पावर+बीएस-4 से अर्थात कुल 05 नग वाहनों, जिनका विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित है, को क्रय किये जाने हेतु रू0 30,48,353/- (रूपया तीस लाख अड़तालिस हजार तीन सौ तिरपन मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0	वाहन का नाम	प्रति वाहन मूल्य	वाहन की संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि
1	टाटा सूमो गोल्ड ईएक्स एम्बुलेंस	रू0 6,05,860.48	03 नग	रू0 18,17,581/-
2	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा की बोलेरो एस0एल0ई0 पावर+बीएस-4	रू0 6,15,386/-	02 नग	रू0 12,30,772/-
		योग-	**05 नग**	**रू0 30,48,353/-**

(1) वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों/निर्देशों विशेष रूप से नये वाहनों के क्रय विषयक परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 12.11.86 एवं शासनादेश दिनांक 11.08.89 के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार/डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा मोटर वाहनों की कीमत/दरों में किसी आदेश द्वारा कमी या संशोधन किया जाता है तो तदनुसार कम संशोधित दरों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करने हेतु धनराशि आहरित की जायेगी।

(3) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत वाहनों का क्रय समस्त सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा एवं क्रय सम्बन्धी समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त शर्तों का अनुपालन महानिरीक्षक कारागार एवं कारागार मुख्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे और इन शर्तों में किसी प्रकार के विचलन के लिए वे उत्तरदायी होंगे।

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी वाहन का प्रतिस्थापन एक से अधिक बार न हो।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस कार्यक्रम/योजना/सेवा के अन्तर्गत वाहन क्रय किया गया था, वह विद्यमान है और उसके लिए वाहन की आवश्कता है।

(8) निष्प्रयोज्य वाहनों का अधिकतम 03 माह की अवधि में निस्तारण कर धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी और उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(9) वाहनों के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक "2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार-14-मोटर गाडियों का क्रय" मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-72/2017/831(1)/22-4-2017-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in